

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवायें अराज0-3ख/स्थानान्तरण/ **143** /2026-27 दिनांक **27** अगस्त 2026।
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/410684/XXX-2/2026-E-26941 दिनांक 08 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या- 410893/XXXIV-B-1/2026/13(12)/2011 दिनांक 07 जुलाई, 2026 व महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक-सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं वार्षिक स्थानान्तरण की सत्र 2026-27 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पाँच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों (वेतनमान 29200-92300, लेवल-5) का उसी पद एवं वेतनमान में " अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" पर निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित कार्यालय एवं विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

वरिष्ठ सहायक

गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति-पत्नी(यथालागू) का गम्भीर रोगग्रस्त/ विकलांगता के आधार पर अनुरोध(स्थानान्तरण अधिनियम -2017 की धारा 17(1)(ख) (एक) के अनुसार

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	श्री गणेश दत्त काला	रा0इ0का0 अगासपुर, अल्मोड़ा	उ0वि0शि0परि0रामनगर नैनीताल	दिव्यांग कार्मिक	
2	श्री विक्रम सिंह	रा0इ0का0 मछियाड़	रा0इ0का0औदली, ऊ0सिं0न0	दिव्यांग कार्मिक	
3	श्री हयात सिंह जैम्याल	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी हवालबाग, अल्मोड़ा	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा	दिव्यांग कार्मिक	
4	श्री किशोर सिंह	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊ0सिं0न0	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल	दिव्यांग कार्मिक	
5	श्रीमती प्रीति	रा0उ0मा0वि0 कोटाखडिक, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	रा0उ0मा0वि0 क्वैराली, चौखुटिया, अल्मोड़ा	पति गम्भीर रोगग्रस्त	
6	श्री प्रशान्त शर्मा	रा0उ0मा0वि0 स्यात, कोटाबाग, नैनीताल	रा0उ0मा0वि0 रानीबाग, भीमताल, नैनीताल	माता गम्भीर रोगग्रस्त	
7	श्रीमती प्रियंका रानी	रा0उ0मा0वि0 पच्चीसी, अल्मोड़ा	रा0उ0मा0वि0 सरवरखेड़ा, जसपुर, ऊ0सिं0न0	ससुर गम्भीर रोगग्रस्त	
8	श्री अविनाश राज	रा0इ0का0 लोहाघाट, चम्पावत	रा0उ0मा0वि0 कुमैयाचौड़, विण, पिथौरागढ़	पिता गम्भीर रोगग्रस्त	

उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा अनुरोध के आधार पर (स्थानान्तरण अधिनियम -2017 की धारा 17(1)(ख) (चार) के अनुसार

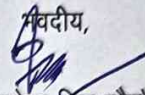
क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	श्रीमती शालिनी शुक्ला	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, अल्मोड़ा	रा0उ0मा0वि0खेमपुर, ऊ0सिं0न0	पति-पत्नी	

विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता, एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध के आधार पर (स्थानान्तरण अधिनियम -2017 की धारा 17(1)(ख)(पाँच) के अनुसार

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	श्रीमती दीपशिखा नेगी	रा0इ0का0 देवायल, सल्ट, अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0बाबरखेड़ा, जसपुर, ऊ0सिं0न0	विधवा कार्मिक	
2	श्रीमती मुन्नी देवी	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, भीमताल	रा0इ0का0 भलोन, रामनगर, नैनीताल	विधवा कार्मिक	
3	श्री केदार दत्त भट्ट	रा0इ0का0ज्वारनैड़ी, लमगाड़ा, अल्मोड़ा	रा0इ0का0 जंगलियागाँव, भीमताल, नैनीताल	वरिष्ठ कार्मिक	

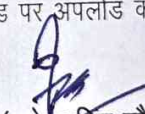
स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

05. समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
06. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
07. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
08. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा(Jouraney Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।


 (गजेन्द्र सिंह सौन)
 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

पृ0सं0 / सेवायें अराज0-3ख / स्थानान्तरण / 1503-17 / 2026-27 उक्ततिथि।
 प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
05. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0 / मा0शि0)कुमाऊँ मण्डल।
08. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुमाऊँ मण्डल
09. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. समस्त खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि सम्बन्धित कार्मिक(SIR)कार्य में तैनात हों तो ऐसे कार्मिक को (SIR) कार्य समाप्ति के उपरान्त ही नवीन स्थानान्तरण स्थल हेतु कार्यभार से मुक्त करेंगे।
13. सम्बन्धित कार्मिक।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे स्थानान्तरण आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।


 (गजेन्द्र सिंह सौन)
 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल